न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः— हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0ः—69/2022 दायर दिनांक 02.05.2022

जीसीएमएस आई0डी0ः—2022/180

1. मुरारी उम्र 40 साल
2. मुकेश उम्र 42 साल
3. हरकेश उम्र 44 साल
4. विजेन्द्र उम्र 46 साल

पिसरान मोतीलाल

5. श्रीमती कमला पत्नि मोतीलाल आयु 75 साल
6. विनोद उम्र 22 साल
7. भूपेन्द्र उम्र 20 साल

पिसरान राजुलाल

8. राधा पुत्री राजूलाल पत्नि वेदप्रकाश आयु 25 साल
9. पूजा पुत्री राजूलाल पत्नि प्रमोद आयु 22 साल
10. चिरमोली पुत्र रामजीलाल आयु 68 साल

जाति बलाई निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली

——सायलान—10

बनाम

1. मनोहरी आयु 69 साल
2. राम सिंह आयु 75 साल
3. धंधोली उम्र 67 साल

पिसरान नथुआ जाति बलाई निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली

——गैरसायलान—03

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः—1. श्री मुरारीलाल करसौलिया वकील सायलान
2. श्री हरिबल्लभ चतुर्वेदी गैरसायलान न0 1,2
3. श्री शांति स्वरूप शुक्ला गैरसायल न0 3

निर्णय दिनांकः—

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि आराजी खसरा न0 2618 रकबा 47 ऐयर, तथा 3071 रकबा 47 ऐयर कुल किता 2 कुल रकबा 94 ऐयर वाके ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन में स्थित है, जिसमें सायलान नम्बर 1 ता 5 का 1/24 हिस्सा तथा सायलान नम्बर 6 ता 9 का 1/96 हिस्से के तथा सायल संख्या 10 का 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार है, जिन्होने उक्त आराजीयात का बाहमी बंटवारा करके अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है, परन्तु उक्त आराजीयात का बहामी बंटवारा होने के कारण सायलान अपने हिस्से अनुसार भूमि नहीं ... सायलान को कम भूमि दी गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:14:16 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायलान ने सायलान ने कहा कि भाईयों उक्त आराजीयात का कानूनी बंटवारा करवा ले लेकिन गैरसायल स0 1 नाराज हो गया और लीगल बंटवारा करवाने से मना कर दिया, सायलान ने गैरसायलान को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन गैरसायल स0 1 नहीं माना और सायलान के हिस्से की भूमि में पक्का निर्माण कर कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन करने पर आमदा हो गया। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस बखुबी साबित है।

दिनांक 05.04.2022 को गैरसायल संख्या व उसके परिवार जन बिना कानूनी बंटवारे के सायलान के हिस्से की भूमि में पक्का निर्माण करने के लिये नींव खोदने को तैयार हो गया, सायलान ने काफी समझाया लेकिन गैरसायल स0 1नहीं माना और गैरसायल स0 1 व उसके परिवारजन सायलान से लडाई झगडा करने को तैयार हो गये। सायलान सीधे सादे व्यक्ति है जो कि लडाई झगडा नहीं करना चाहते है, इस कारण सायलान गांव के पंच पटैलान व गणमान्य व्यक्तियों को लेकर आये लेकिन गैरसायल स0 1 अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आया।

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार से पांबद किया जावे कि दौराने दावा गैरसायलान बिना विधिवत बंटवारा के सायला की उक्त आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र खसरान0 2618 रकबा 47 तथा 3071 रकबा 47 ऐयर कुल किता 2 कुल रकबा 94 ऐयर वाके ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन में पक्का निर्माण नहीं करे, जिससे कि भूमि की किस्म बदल जावे तथा गैरसायलान उक्त आराजीयात भूमि से संबंधित ऐसा कोई कृत्य नहीं कर जिससे सायलान के हक व हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। तथा ऐसा कृत्य ना तो स्वयं गैरसायलान करे नाहि किसी अन्य से करावे। मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायल न0 3 की ओर से श्री शांति स्वरूप शर्मा ने वकलातनामा पेश किया। गैरसायल न0 1 व 2 की ओर से श्री हरिबल्लभ चतुर्वेदी ने वकलातनामा एवं जबाब पेश किया जो निम्नानुसार है:—

1. वादपत्र का मद नं0 1 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है, स्वीकार नहीं है, वादीगण ने केवल दो खसरा नंबर 2618 रकवा 47 ऐयर, 3071 रकवा 47 ऐयर कुल किता 2 कुल रकबा 94 ऐयर के ही बटवारे का आंशिक दावा पेश किया है, जो गैरकानूनी है, जबकि वादी व प्रतिवादीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:14:16 IST
Reason: SelfAttested

शामलाती आराजीयात कुल किता 15 कुल रकवा 3.33 है० बांके तन ग्राम झारेडा, तहसील हिण्डौन स्थित है जिसमें खसरा नम्बर 2611 रकवा 2 ऐयर गैरमुमकिन बोरिंग, 2612 रकवा 17 ऐयर, 2613 रकवा 16 ऐयर, 2614 रकवा 25 ऐयर, 2615 रकवा 86 ऐयर, 2616 रकवा 7 ऐयर गै०मु० चाहा, 2617 रकवा 8 ऐयर, 2618 रकवा 47 ऐयर, 2619 रकवा 13 ऐयर, 2620 रकवा 14 ऐयर, 2623 रकवा 11 ऐयर, 3069 रकवा 13 ऐयर, 3070 रकवा 12 ऐयर, 3071 रकवा 47 ऐयर, 3072 रकवा 15 ऐयर बांके तन ग्राम झारेडा में स्थित है, जिसका वादी व प्रतिवादीगण के मध्य काफी लम्बे समय पूर्व से मौके पर बाह्यमी बटवारा हो रहा था तथा वादी व प्रतिवादीगण अपने हिस्से पर अलग काबिज चले आ रहे है. वादीगण 1 ता 5 के पूर्वज मोतीलाल व प्रतिवादी संख्या 10 ने अपने हिस्से की जमीन स्थित बराई बाली कोठी, अपने हिस्से की आराजी मनोहरी पुत्र देवफूल मीना निवासी झारेडा वाले से बदला कर बही में लिखापढी कर दीगर स्थान पर मनोहरी के खेत बदले में ले लिये तथा अपने हिस्से की भूमि मनोहरी पुत्र देवफूल मीना को संभला दी जिसमें एक खेत 1 बीघा 15 विस्वा, दूसरा खेत 2 बीघा 10 विस्वा, तीसरा खेत 2 बीघा 10 विस्वा, कुल 7 बीघा भूमि ट्यूबवैल बिजली कनेक्शन सहित मनोहरी पुत्र देवफूल मीना को संभला दी, साथ ही चार गेह दुपल्ला पाटौर मय पत्थर व मलवे सहित मय टयूबैल सहित मनोहरी पुत्र देवफूल मीना को संभला दी, तथा 50,000/—रू नगद भी मनोहरी मीना से प्राप्त किये, बदले में मनोहरी मीना से दो नग भूमि 5 बीघा 2 विस्वा जमीन प्राप्त की, जिसकी लिखापढी वादीगण के पूर्वज मोतीलाल व वादी संख्या 10 चिरमोली ने मनोहरी पुत्र देवफूल मीना की बही में, मिति क्वार सुदी 14 संवत 2052 तदानुसार तारीख 07.10.1995 को तहरीर व तकमील की, जिस पर मोतीलाल व चिरमोली के हस्ताक्षर है, राजू, विजेन्द्र, सुरेश, किरोडी, काडू, के हस्ताक्षर है तथा गवाहान के हस्ताक्षर है, इस प्रकार वादग्रस्त आराजीयाल पर वादीगण का दिनांक 07.10.1995 से आज दिन तक कोई कब्जा नहीं है, इनके स्थान पर उक्त आराजी पर मनोहरी पुत्र देवकृत मीना का कब्जा हो गया तथा मनोहरी की जमीन पर जो वादीगण ने बदले में ली थी उस पर वादीगण का कब्जा हो गया वादीगण ने तथ्यों को छिपाकर तोड—मरोड़कर बिलकुल गलत झूठा दावा पेश किया है, कब्जे के अभाव में वादीमण का दावा चलने योग्य नहीं है, विगत 28 वर्ष से वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:14:16 IST
Reason: SelfAttested

का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है, खुलाशा विशेष विवरण में दर्ज है।

2. वादपत्र का मद नम्बर 2 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। जब विगत 28 वर्ष से वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा ही नहीं है तो ऐसी सूरत में उनके द्वारा बटवारा कराने की कहना सफेद झूठ है, मनोहरी पुत्र देवफूल मीना से किया गया बदलपत्र अनरजिस्टर्ड है तथा बही में लिखा गया है, जिसके कारण राजस्व रिकॉर्ड में बदलपत्र दर्ज नहीं है, लेकिन मौके पर कब्जे का आदान–प्रदान वर्ष 1995 में ही हो गया था जिसके कारण वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कोई कब्जा नहीं है, लेकिन वादीगण केवल राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज चलते रहने के कारण महज प्रतिवदीगण को हैरान व परेशान करने के आशय से झूठे मुकदमें करते है, क्योंकि वादी संख्या 4 विजेन्द्र की पत्नि भूरबाई ग्राम झारेडा की संरपंच है जिनकी कोर्ट कचहरी थाने आदि में काफी जान–पहचान है, जिसके कारण ये लोग झूठे मुकदमें कर रंजिशवश हमें तंग व परेशान करते है. पूर्व में भी इन लोगो ने एक दावा मु०नं० 67/22 पेश किया था जिसमें मिन प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हुये थे, उस दावे में वादीगण ने खसरा नम्बर 2615 रकवा 86 ऐयर व 3072 रकवा 15 ऐयर कुल किता 2 का बटवारा चाहा था, लेकिन स्वंय ने ही दिनांक 30.06.2022 को दावा खारिज करवा लिया, इससे यह साबित है कि वादीगण झूठे मुकदमें करते है, तथा सफलता न मिलती देखकर स्वंय ही अपने मुकदमे को खारिज करवा लेते है. वादीगण ने जानबूझकर मनोहरी पुत्र देवफूल मीना या उसके वारिसान दिलीप व गोविन्द पिसरान मनोहरी मीना व मोहरबाई पत्नि मनोहरी मीना निवासी झारेडा को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया है, क्योंकि उनके पक्षकार बनते ही वे अपना जबाव न्यायालय में पेश करते जिससे वादीगण की झूठ व प्रतिवादीगण की सत्यता न्यायालय के समक्ष आ जाती, जब वादीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा शेष ही नहीं रहा तो उनका विभाजन करवाने की कहने वाली बात स्वतः झूठी साबित हो जाती है।

3. वादपत्र का मद नम्बर 3 जिस प्रकार तहरीर किया गया है बिल्कुल गलत है स्वीकार नही है दिनांक 05.04.2022 को ही व मिन प्रतिवादीगण के मध्य कोई बातचीत नहीं हुई जब वादीगण वादग्रस्त आराजी के किसी भी भाग पर कोई कब्जा ही नहीं है तो उनका बटवारा मांगना या निर्माण से रोकने

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:14:16 IST
Reason: SelfAttested

वाली बात सरासर झूठी व गलत साबित है, वादीगण ने कल्पना के आधार पर झूठा दावा पेश किया है।

4. वादपत्र का मद नम्बर 4 गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादग्रस्त आराजी में से बिल एवज 3,15,000/– रू में 2 बीघा 5 विस्वा भूमि मनोहरी पुत्र देवफूल मीना के पुत्र व पत्नि दिलीप कुमार, गोविन्द, नीरज, पिसरान् मनोहरी मीना व मोहरबाई पत्नि मनोहरी मीना से खरीदकर दिनांक 24.07.2009 को तथा इससे पूर्व 1 बीघा 15 विस्वा भूमि दिनांक 26.05.1999 को मनोहरी पुत्र देवफूल मीना से 1,51,000/– रूपये खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था, जिस पर प्रतिवादी सख्या 1 व 2 काबिज है, तथा काश्त कर लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे है, मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कब्जाकाश्त है, तथा कुछ रकवे पर मनोहरी मीना के वारिसों का कब्जा करीब सवा दो बीघा पर आज दिन तक चला आ रहा है, बदलपत्र के आधार पर मोतीलाल व चिरमाली द्वारा मनोहरी मीना से बदले के आधार पर ली गई जमीन में से मोतीलाल ने करीब सवा बीघा जमीन मानगीना कति कर दी तथा बदले में उससे भूमि की कीमत प्राप्त कर भी इस वादीगण को वादग्रस्त आराजी में कोई हिस्सा मांगने या बटवारा कराने का अधिकार शेष नहीं है।

5. वादपत्र का मद नम्बर 5 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, गलत है स्वीकार नहीं है, प्रतिवादीगण द्वारा अपने हिस्से की आराजी का बदला करने, कब्जा हस्तातरण करने, दीगर स्थान पर खातेदारी की भूमि बदले में लेने तथा उक्त आराजी पर काबिज होने तथा उक्त आराजी में से सवा बीघा भूमि बेच देने के कारण वादग्रस्त आराजी में वादीगण का कब्जा न होने तथा केवल राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने से कब्जे के अभाव में वादीगण को वादग्रस्त भूमि को कोई विभाजन कराने का अधिकार नहीं है, दावा गलत व झूठा पेश किया गया है एवं खारिज किये जाने योग्य है।

6. वादपत्र का मद नम्बर 6 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है स्वीकार नही है, जब वादग्रस्त आराजी के किसी भाग पर वादीगण का वर्ष 1995 से आज दिन तक कोईकब्जाकाश्त नही हैं स्वेच्छा से बदला कर मनोहरी मीना पुत्र देवफूल मीना को अपने हिस्से की जमीन बदले में देकर दीगर स्थान पर मनोहरी मीना से जमीन ले ली तथा उसका सवा बीघा भाग बेच देने के बाद वादीगण के मन में बेईमानी व बदयांति पैदा हो गई है तथा वे

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:14:16 IST
Reason: SelfAttested

पुनः पुराने स्थान पर लौटना चाहते है इधर मनोहरी मीना व उसके वारिसान ने मिल प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को करीब सवा 4 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को विक्रय कर चुके है इसलिये अब पुरानी स्टेज घर वापिस लौटना संभव नहीं है. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उक्त चार बीघा भूमि के बदले मनोहरी मीना को 3.15,000+ 1,51,000 कुल 4,66,000/– रूपये नगद अदा किये है, जिसके बदले में यह भूमि प्राप्त हुई. जिसकी लिखापढी स्टाम्प पर दिनांक 26.05.1999 व दिनांक 24.07.2009 को की गई।

7. वादपत्र का मद नम्बर 6ए वादकारण दिनांक 05.04. 2022 को उत्पन्न होना बिल्कुल गलत लिखा है, वादीगण को इस दिनांक को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ. वादग्रस्त आराजी का सम्पूर्ण हिस्सा वादी संख्या 10 व स्व० मोतीलाल द्वारा वर्ष 1995 में ही मनोहरी पुत्र देवफूल मीना को बदले में दे दिया गया था, वादग्रस्त भूमि के किसी भी भू–भाग पर वादीगण का वर्ष 1995 से आज दिन तक कोई कब्जा नहीं है, ऐसी सूरत में वादीगण के हकूक खातेदारी काफी समय पूर्व समाप्त हो चुके है, केवल खातेदारी में गलत नाम चलते रहने के कारण गलत तथ्यों के आधार पर दावा हाजा पेश किया गया है, जो महज प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को तंग व परेशान करने के आशय से पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। दावा मयाद बाहर है। वर्ष 1995 से वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है।

8. वादपत्र का मद नम्बर 7 कानूनी है।

9. वादपत्र का मद नम्बर 8 कानूनी है।

10. वादपत्र का मद नम्बर 9 कानूनी है।

11. वादपत्र का मद नम्बर 10 मय उपमंद अ.ब.स.द. गलत है स्वीकार नही है. दावा वादीगण कोई भी अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, खुलाशा विशेष विवरण में दर्ज है।

वादीगण ने केवल दो खसरा नम्बरान् 2618 रकवा 47 ऐयर, 3071 रकवा 47 ऐयर कुल किता 2 कुल रकवा 94 ऐयर के ही बटवारे का आंशिक दावा पेश किया है, जो गैरकानूनी है, जबकि वादी व प्रतिवादीगण की शामलाती आराजीयात कुल किता 15 कुल रकवा 3.33 है० बांका तन ग्राम झारेडा, तहसील हिण्डौन स्थित है। वादीगण 1 ता 5 के पूर्वज मोतीलाल व प्रतिवादी संख्या 10 अपने हिस्से की जमीन स्थित बराई बाली कोठी, अपने हिस्से की आराजी मनोहरी पुत्र देवफूल मीना निवासी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:14:16 IST
Reason: SelfAttested

झारेडा वाले से बदला कर बही में लिखापढी कर दीगर स्थान पर मनोहरी के खेत बदले में ले लिये तथा अपने हिस्से की भूमि मनोहरी पुत्र देवफूल मीना को संभला दी जिसने एक खेत 1 श्रीधा 15 विश्वा दूसरा खेत 2 बीघा 10 विश्वा तीसरा खेत 2 बीज 10 विश्वा कुल 7 बीघा भूमि ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन सहित मनोहरी पुत्र देवफल मीना को संमला दी, साथ ही चार गेह दुपल्ला पाटौर मय पत्थर व मलवे सहित मय टयूबल सहित मनोहरी पुत्र देवफूल मीना को संभला दी तथा 50. 000/–रु नगद भी मनोहरी मीना से प्राप्त किये बदले में मनोहरी मीना से दो नग भूमि 5 बीघा 2 विस्वा जमीन प्राप्त की, जिसकी लिखापढी वादीगण के पूर्वज मोतीलाल व वादी संख्या 10 चिरमोली ने मनोहरी पुत्र देवफूल मीना की बही में. मिति क्वार सुदी 14 संवत 2052 तदानुसार तारीख 07.10.1995 को तहरीर व तकमील की, जिस पर मोतीलाल व चिरमोली के हस्ताक्षर है. राजू, विजेन्द्र, सुरेश, किरोडी, काडू, के हस्ताक्षर है तथा गवाहान के हस्ताक्षर है, इस प्रकार वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का दिनांक 07.10.1995 से आज दिन तक कोई कब्जा नहीं है। इसलिये कब्जे के अभाव में दावा वादीगण चलने योग्य नही है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादग्रस्त आराजी में से बिल एवज 3,15,000/– रू में 2 बीघा 5 विस्वा भूमि मनोहरी पुत्र देवफूल मीना के पुत्र व पत्नि दिलीप कुमार, गोविन्द, नीरज, पिसरान् मनोहरी मीना व मोहरबाई पत्नि मनोहरी मीना से सारीदकर दिनांक 24.07. 2009 की तथा इससे पूर्व । बीचा 15 विश्वा भूमि दिनांक 26.05.1999 को मनोहरी पुत्र देवशूल मीना से 1,51,000/– रूपये खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था, जिस पर प्रतिवादी सख्या 1 व 2 काबिज है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने बिल एवज 4,66,000 /– रूपये का भुगतान कर मनोहरी पुत्र देवफूल मीना व उसके वारिसान से सवा 4 बीघा भूमि खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है, लेकिन वादीगण दावा हाजा की आड़ में मिन प्रतिवादीगण को उनकी खरीदी हुई भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। वादीगण ने सम्पूर्ण खाते की भूमि का विभाजन नहीं चाहा है, केवल दो खसरा नम्बरों का दावा पेश किया है जबकि खातेदारी की भूमि 3.33 है० है, इससे भी वादीगण का दावा गलत होना साबित है। वादीगण ने सही तथ्यों को छिपाकर तथ्यों को तोड–मरोडकर गलत दावा पेश किया है, वादीगण स्वच्छ हृदय से न्यायालय में नहीं आये है, इसलिये माननीय न्यायालय से कोई भी अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण ने मनोहरी मीना के वारिसान दिलीप कुमार, गोविन्द, नीरज, व मोहरबाई पत्नि मनोहरी मीना निवासी झारेडा को दावे में पक्षकार

Signature Not Verified
Digitally Signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:14:16 IST
Reason: Certified Copy

नहीं बनाया है जबकि मौके पर उसका कब्जा है तथा उससे ही वादीगण ने बदला किया है इसलिये मनोहरी मीना के वारिसान दावे में आवश्यक पक्षकार है जिनके अभाव में दावा चलने योग्य नहीं है। जबाव दावा पेशकर निवेदन है कि दावा वादीगण मय खर्चा खारिज किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादीगण से हर्जा खास दिलाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 589 वाके ग्राम झारेडा तहसील हिण्डोन पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया और कहा गया कि दौरान दावा गैरसायलान बिना विधिवत बंटवारा के सायला की उक्त आराजीयात मुतजिमा मद न0 2 प्रार्थना पत्र खसरान0 2618 रकबा 47 तथा 3071 रकबा 47 ऐयर कुल किता 2 कुल रकबा 94 ऐयर वाके ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन में पक्का निर्माण नहीं करे, जिससे कि भूमि की किस्म बदल जावे तथा गैरसायलान उक्त आराजीयात भूमि से संबंधित ऐसा कोई कृत्य नहीं कर जिससे सायलान के हक व हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। तथा ऐसा कृत्य ना तो स्वयं गैरसायलान करे नाहि किसी अन्य से करावे। मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत रखने का निवेदन किया। गैरसायलान वकील ने दौराने बहस में जबाब प्रार्थना पत्र को दोहरया और कहा कि वादीगण ने केवल दो खसरा नम्बरान् 2618 रकवा 47 ऐयर, 3071 रकवा 47 ऐयर कुल किता 2 कुल रकवा 94 ऐयर के ही बटवारे का आंशिक दावा पेश किया है, जो गैरकानूनी है, जबकि वादी व प्रतिवादीगण की शामलाती आराजीयात कुल किता 15 कुल रकवा 3.33 है0 बांके तन ग्राम झारेडा, तहसील हिण्डौन स्थित है। वादीगण 1 ता 5 के पूर्वज मोतीलाल व प्रतिवादी संख्या 10 ने अपने हिस्से की जमीन स्थित बराई बाली कोठी, अपने हिस्से की आराजी मनोहरी पुत्र देवफूल मीना निवासी झारेडा वाले से बदला कर बही में लिखापढी कर दीगर स्थान पर मनोहरी के खेत बदले में ले लिये तथा अपने हिस्से की भूमि मनोहरी पुत्र देवफूल मीना को संभला दी जिसने एक खेत 1 बीघा 15 विश्वा दूसरा खेत 2 बीघा 10 विश्वा तीसरा खेत 2 बीघा 10 विश्वा कुल 7 बीघा भूमि ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन सहित मनोहरी पुत्र देवफूल मीना को संभला दी, साथ ही चार गेह दुपल्ला पाटौर मय पत्थर व मलबे सहित मय [illegible] सहित मनोहरी पुत्र देवफूल मीना को संभला दी तथा 50.000/–रु नगद भी मनोहरी मीना से प्राप्त किये बदले

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:14:16 IST
Reason: SelfAttested

में मनोहरी मीना से दो नग भूमि 5 बीघा 2 विस्वा जमीन प्राप्त की, जिसकी लिखापढी वादीगण के पूर्वज मोतीलाल व वादी संख्या 10 चिरमोली ने मनोहरी पुत्र देवफूल मीना की बही में. मिति क्वार सुदी 14 संवत 2052 तदानुसार तारीख 07.10.1995 को तहरीर व तकमील की, जिस पर मोतीलाल व चिरमोली के हस्ताक्षर है. राजू, विजेन्द्र, सुरेश, किरोडी, काडू, के हस्ताक्षर है तथा गवाहान के हस्ताक्षर है, इस प्रकार वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का दिनांक 07.10.1995 से आज दिन तक कोई कब्जा नहीं है। इसलिये कब्जे के अभाव में दावा वादीगण चलने योग्य नही है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादग्रस्त आराजी में से बिल एवज 3,15,000/– रू में 2 बीघा 5 विस्वा भूमि मनोहरी पुत्र देवफूल मीना के पुत्र व पत्नि दिलीप कुमार, गोविन्द, नीरज, पिसरान् मनोहरी मीना व मोहरबाई पत्नि मनोहरी मीना से सारीदकर दिनांक 24.07.2009 की तथा इससे पूर्व 1 बीघा 15 विस्वा भूमि दिनांक 26.05.1999 को मनोहरी पुत्र देवशूल मीना से 1,51,000/– रूपये खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने बिल एवज 4,66,000 /– रूपये का भुगतान कर मनोहरी पुत्र देवफूल मीना व उसके वारिसान से सवा 4 बीघा भूमि खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है, लेकिन वादीगण दावा हाजा की आड़ में मिन प्रतिवादीगण को उनकी खरीदी हुई भूमि से बेदखल करने पर आमाद। है। वादीगण ने सम्पूर्ण खाते की भूमि का विभाजन नहीं चाहा है, केवल दो खसरा नम्बरों का दावा पेश किया है जबकि खातेदारी की भूमि 3.33 है० है, इससे भी वादीगण का दावा गलत होना साबित है। वादीगण ने सही तथ्यों को छिपाकर तथ्यों को तोड–मरोडकर गलत दावा पेश किया है, वादीगण स्वच्छ हृदय से न्यायालय में नहीं आये है, इसलिये माननीय न्यायालय से कोई भी अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण ने मनोहरी मीना के वारिसान दिलीप कुमार, गोविन्द, नीरज, व मोहरबाई पत्नि मनोहरी मीना निवासी झारेडा को दावे में पक्षकार नहीं बनाया है जबकि मौके पर उसका कब्जा है तथा उससे ही वादीगण ने बदला किया है इसलिये मनोहरी मीना के वारिसान दावे में आवश्यक पक्षकार है जिनके अभाव में दावा चलने योग्य नहीं है। जबाव दावा पेशकर निवेदन है कि दावा वादीगण मय खर्चा खारिज किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादीगण से हर्जा खास दिलाया जाने का निवेदन है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:14:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य गं जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 589 वाके ग्राम

झारेडा तहसील हिण्डोन में सायलान एवं गैरसायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है, उक्त विवादित भूमि अनुसुचित जाति की है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन सहखातेदारों के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा होकर पृथक पृथक खाता व लगान कायम नहीं हो जावे। ऐसी स्थिति में रिकोर्डेड सहखातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस सायल के पक्ष में साबित होता है और सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में नजर आता है। बल्कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से फैंसला दावा पाबन्द किये जाने पर गैरसायलान जो कि विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं प्रकरण में मुल दावा तकास्मा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का विचाराधीन है। इस प्रकार पृथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान खिलाफ गैरसायलान बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 02.05.2022 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान को विवादित आराजी खसरा न0 2618, 3071 वाके ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन में मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 19/5/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन
19/5/25

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:14:16 IST
Reason: SelfAttested